

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

पुलिस मुठभेड में थाना दीदारगंज का टाप टेन का अभियुक्त एक अदद तमन्चा व एक अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार

धर्मेन्द्र राजभर पुत्र महाजन राजभर सा0 कालेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय का टाप टेन अपराधी है। जो लूट, चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराधों का आदतन अपराधी है। जिसके विरुद्ध विभिन्न वर्षों में जनपद जौनपुर व जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर कई मुकदमें पंजीकृत हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछिता/ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन आज दिनांक 23.08.2020 को थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह व उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा हत्या, लूट, डकैती, जिला बदर, वाछिंत, वारण्टी अभियुक्तों के घर दविश देकर बैरकडीह बैरियर से आगे पहुंचे कि तभी हुब्बीगंज की तरफ से एक मोटर साइकल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जो पुलिस की गाडी में लगी नीली बत्ती देखकर संदिग्ध अवस्था में वक्की नेवादा रोड पर मुड़े तभी मोटर साइकिल लडखडाई और पीछे बैठा व्यक्ति मो0सा0 से कुदकर उतर कर हम पुलिस वालों पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से अपने तमंचा से फायर कर दिया तथा खेत की तरफ भागने लगा हम पुलिस वाले हिकमत अमली व सिखलाये गये तरीको का प्रयोग कर दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 05.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा व्यक्ति अन्धेरा का फायदा उठाकर मो0सा0 से भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति की मौके पर तलाशी में एक अदद तमंचा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम धर्मेन्द्र राजभर पुत्र महाजन राजभर निवासी ग्राम कालेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया तथा फरार अभियुक्त का नाम श्याम बचन उर्फ अन्तु पुत्र स्व0 रामश्री निवासी ग्राम अराराथाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अपराधी थाना स्थानीय का टाप 10 अपराधियों हैं जिसके विरुद्ध लूट, चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, शस्त्र अधिनियम, गैग्रेस्टर एक्ट के तहत दर्जन भर मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 135/20 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 136/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1-धर्मेन्द्र राजभर पुत्र महाजन राजभर सा0 कालेपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 135/20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 136/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

नाम पता फरार अभियुक्त

श्याम बचन उर्फ अन्तु पुत्र स्व0 रामश्री निवासी ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा नाजायज .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 -1578/17 धारा 411/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 1579/17 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
3. मु0अ0सं0 05/18 धारा 379/411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 127/18 धारा 392/411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 137/18 धारा 3/7/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 140/18 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 229/18 धारा 419/420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 47/19 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 177/19 धारा 307 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 135/20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 136/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना कप्तानगंज

थाना कप्तानगंज का टाप-10 अपराधी एक अदद अवैध तमन्चा व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ

गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर जनपद आजमगढ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के निर्देशन में आज दिनांक 23.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० बांक बहादुर सिंह मय हमराहीयान द्वारा चेकिंग के दौरान थाना कप्तानगंज के टापटेन अपराधी अंगद निषाद पुत्र स्व० राजमनी निषाद ग्राम कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ को कोईनहा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्थानीय का टाप-10 अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद के कई थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, शस्त्र अधिनियम के तहत कई मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 131/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अंगद निषाद पुत्र स्व० राजमनी निषाद ग्राम कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 131/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 75/16 धारा 307/41/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ।
2. मु०अ०सं० 77/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ।
3. मु०अ०सं० 193/15 धारा 392 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ।
4. मु०अ०सं० 171/15 धारा 307/506 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ।
5. मु०अ०सं० 14/16 धारा 307/394 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।
6. मु०अ०सं० 35/16 धारा 392 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।
7. मु०अ०सं० 59/16 धारा 392 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।
8. मु०अ०सं० NIL/2020 धारा 110G सीआरपीसी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1 अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० बांक बहादुर सिंह मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ।